भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1598

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1598. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कोयला ब्लॉकों की बोली लगवाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों में स्थित कोयला पीएसयू को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि उन स्थानीय कोयला पीएसयू के पास प्रौद्योगिकी, मशीनरी और सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण कोयले की खोज सस्ती दरों पर की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कोयला सरकारी पीएसयू को ब्लॉक आवंटित करने में सरकार को कौन-कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : कोयला ब्लॉकों की नीलामी एक सतत प्रक्रिया है। जब भी आबंटन के लिए कोयला ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, राजस्व हिस्सेदारी आधार पर वाणिज्यिक खनन के अंतर्गत कोयला मंत्रालय की मौजूदा नीति के अनुसार इनका नीलामी के लिए आफॅर दिया जाता है।

(ग) : जी हां।

(घ) : भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के माध्यम से सभी कोयला ब्लॉकों के आबंटन का आफॅर दिया जा रहा है। कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर की जा रही कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी भाग ले सकते हैं।

****